राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– स.3–9(61)स्था/अभि/2007/ दिनांक

–:आदेश:–

गृह (ग्रुप–10) विभाग के आदेश क्रमांक प.16(19)(1)विविध/अभि/20 जयपुर दिनांक 29.09.2023 द्वारा अभियोजन सेवा का पुर्नगठन किया गया है जिसके अंतर्गत संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा जिला स्तर पर उप निदेशक अभियोजन के पद स्वीकृत किये गये है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 3 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा जिला स्तर पर उप निदेशक अभियोजन (पुलिस जिला भिवाडी के अतिरिक्त) विभाग,राजस्थान को उनके संभाग एवं जिले के कार्यालय के संबंध मे सरकार के वित्तीय नियमो के प्रयोजन के लिए कार्यालयाध्यक्ष के रुप मे घोषित करता हूॅ। वे वित्तीय नियमो तथा समय समय पर जारी किये गये आदेशो के अधीन कार्यालयाध्यक्ष को प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय एवं अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

कर्त्तव्य एंव दायित्व सामान्यतया सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो के विभिन्न उपलब्धो मे निर्धारित किये गय हैं। महत्वपूर्ण कर्त्तव्यो का सारांश परिशिष्ठ–1 मे दिया गया है।

संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा जिला स्तर पर उप निदेशक अभियोजन (पुलिस जिला भिवाडी के अतिरिक्त) विशिष्ठ रुप से निम्नलिखित कर्त्तव्यो का पालन करेंगे :–

1. कोषागार मे प्रस्तुत करने के लिए समस्त सरकारी कर्मचारियो के व्यैक्तिक दावों संबंधी समस्त बिलों एवं आकस्मिक व्ययों के बिलों पर आहरण अधिकारी के रुप मे हस्ताक्षर करना।
2. समस्त प्राप्तियों एवं इस प्रकार आहरित निधियो मे से किये गये भुगतानों का लेखा रखना तथा वैद्य रसीद लेकर उचित प्राप्तकर्ता को भुगतान करना तथा भुगतान करने के प्रमाणस्वरुप उसे अनुप्रमाणित करना।
3. रोकड पुस्तिका तथा समस्त लेखा पंजिकाओ तथा अभिलेख, विशेष रुप से बिलों के भुनाने पर निगरानी रखने का रजिस्टर, बिल भेजने का रजिस्टर, अल्पकालीन अग्रिमों का रजिस्टर, आकस्मिक व्ययों का रजिस्टर, अग्रिम एवं समायोजनों का रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, दुर्विनियोग आदि का रजिस्टर आदि, चैकों, ड्राफ्टों, पोस्टल मनी आर्डर्स/ ड्राफ्टस द्वारा किये गये भुगतानो का रजिस्टर तैयार करना तथा संबंधित प्रविष्टियो पर हस्ताक्षर करना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Sharma
Designation : Director
Date: 2024.02.19 17:48:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
5691874

4. वित्तीय नियमो, आदेशो एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गयी वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजनों के अनुसार आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक आकस्मिक व्ययों को करना एवं आकस्मिक व्यय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना।
5. सरकारी कर्मचारियो को दिये गये अस्थायी अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करना तथा निर्धारित समय के भीतर खर्च न किए अतिशेष(बैलेन्स) की वसूली को सुनिश्चित करना तथा उन पर नियमों में यथा उपबंधित कार्यवाही करना, एवं
6. भण्डार की वस्तुओं को मितव्ययी रुप से प्राप्त करना तथा उनके उचित हिसाब एवं अभिरक्षा (कस्टडी)की व्यवस्था करना।

राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियम 19 व 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा जिला स्तर पर उप निदेशक अभियोजन (पुलिस जिला भिवाडी के अतिरिक्त) विभाग,राजस्थान को उनके कार्यालयो मे अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध मे सरकार के यात्रा भत्ता नियमो के प्रयोजन के लिये नियंत्रण अधिकारी के रुप मे घोषित करता हूँ। राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के नियम 1971 के नियम 20 व 21 एवं समय समय पर जारी किये गये आदेशो के अधीन नियंत्राण अधिकारी को प्रदत्त समस्त वित्तीय प्रशासनिक एवं अन्य शक्तिों का प्रयोग करेंगे।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि <u>निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–</u>

1. निजी सचिव,शासन सचिव, गृह (विधि), गृह(ग्रप–10)विभाग,शासन सचिवालय जयपुर ।
2. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन(न्याय/अभियोजन),अभियोजन निदेशालय जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक /उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
5. समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Sharma
Designation : Director
Date: 2024.02.19 17:48:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
5691874